2007:सीजीएचसी:7604

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 108/2005

याचिकाकर्ता गोविंद

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और अन्य संबंधित मामले ।

(4 जनवरी 2007 को आदेश हेतु सूचीबद्ध किया गया)

सही/–
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

2007:सीजीएचसी:7604

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
रिट याचिका क्रमांक 108/2005

याचिकाकर्ता गोविंद
बनाम
उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 150/2005
याचिकाकर्ता रामअवतार एवं अन्य
बनाम
उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य।

रिट याचिका क्रमांक 350/2005
याचिकाकर्ता लोचन राम
बनाम
उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य।

रिट याचिका क्रमांक 454/2005
याचिकाकर्ता राम प्रसाद यादव व अन्य।
बनाम
उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य।

रिट याचिका क्रमांक 610/2005
याचिकाकर्ता सुखिन बाई
बनाम
उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 846/2005
याचिकाकर्ता सुभाष चंद और एक अन्य
बनाम
उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 908/2005
याचिकाकर्ता सुकवारो
बनाम
उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य।
रिट याचिका क्रमांक 909/2005
याचिकाकर्ता धनुष
बनाम

2007:सीजीएचसी:7604

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 979/2005

याचिकाकर्ता पंचमराम

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य।

रिट याचिका क्रमांक 980/2005

याचिकाकर्ता नंदलाल सिलदार व अन्य

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 1001/2005

याचिकाकर्ता श्रीमती लीला बाई

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 1026/2005

याचिकाकर्ता बुद्धूराम एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 1039/2005

याचिकाकर्ता धनसाय साहू

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3944/2005

याचिकाकर्ता पुर्षोत्तम

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4542/2005

याचिकाकर्ता मोटू

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4654/2005

याचिकाकर्ता राम अवतार

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5668/2005

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2007:सीजीएचसी:7604

याचिकाकर्ता श्रीमती सूरज बाई
बनाम
उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

<u>रिट याचिका क्रमांक 5746/2005</u>
याचिकाकर्ता पुनाराम साहू
बनाम
उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

<u>रिट याचिका क्रमांक 483/2006</u>
याचिकाकर्ता गोरेलाल
बनाम
उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

<u>रिट याचिका क्रमांक 650/2006</u>
याचिकाकर्ता भागा बाई
बनाम
उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>रिट याचिका क्रमांक 697/2006</u>
याचिकाकर्ता श्रीमती महेशिया बाई
बनाम
उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

<u>रिट याचिका क्रमांक 1980/2006</u>
याचिकाकर्ता अंकालू राम
बनाम
उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

<u>रिट याचिका क्रमांक 2767/2006</u>
याचिकाकर्ता बरातू
बनाम
उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

<u>रिट याचिका क्रमांक 2768/2006</u>
याचिकाकर्ता सरज बाई साहू
बनाम
उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

<u>रिट याचिका क्रमांक 2769/2006</u>
याचिकाकर्ता श्रीमती दुजिया बाई
बनाम
उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

2007:सीजीएचसी:7604

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका क्रमांक 2770/2006

याचिकाकर्ता भारत

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 2771/2006

याचिकाकर्ता परसादी राम

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 2917/2006

याचिकाकर्ता ढेलूऊ राम सिलदार

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3030/2006

याचिकाकर्ता विश्राम यादव

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3938/2006

याचिकाकर्ता मनोहर

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (एस) क्रमांक 4693/2006

याचिकाकर्ता मनहरण

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (एस) क्रमांक 4694/2006

याचिकाकर्ता तुलसीराम

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (एस) क्रमांक 5446/2006

याचिकाकर्ता उत्तम सिंह

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (एस) क्रमांक 6256/2006

याचिकाकर्ता बिशल राम साहू

2007:सीजीएचसी:7604

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

<u>रिट याचिका (एस) क्रमांक 6309/2006</u>

याचिकाकर्ता श्रीमती तिलमती

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

<u>रिट याचिका (एस) क्रमांक 6686/2006</u>

याचिकाकर्ता काशी राम साहू

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

<u>रिट याचिका क्रमांक 501/2004</u>

याचिकाकर्ता संशु राम

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>और</u>

<u>रिट याचिका (एस) क्रमांक 4476/2006</u>

याचिकाकर्ता साधु राम यादव

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

एकल पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री,

<u>उपस्थित</u> :–

याचिकाकर्तागण की ओर से : श्री अशोक दास वैष्णव, श्री किशोर भादुड़ी, श्री अनूप मजूमदार, श्रीमती फौजिया मिर्जा, श्री अजय श्रीवास्तव, श्री एचएस अहलूवालिया, श्री राहुल बिरथरे , श्री अशोक सोनी, श्री सुनील ओटवानी ,

2007:सीजीएचसी:7604

श्री अशोक पाटिल और श्री अभिजीत सरकार अधिवक्तागण उपस्थित।

उत्तरवादीगण की ओर से : श्री वी.वी.एस. मूर्ति उप– महाधिवक्ता सहित श्रीमती अंजू आहूजा उप शासकीय अधिवक्ता उपस्थित ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश
(4 जनवरी, 2007 को पारित)

1. मामलों के इस समूह (रिट याचिका क्रमांक 108/2005, 150/2005, 350/2005, 454/2005, 610/2005, 846/2005, 908/2005, 909/2005, 979/2005, 980/2005, 1001/2005, 1026/2005, 1039/2005, 3944/2005, 4542/2005, 4654/2005, 5668/2005, 5746/2005, 483/2006, 650/2006, 697/2006, 1980/2006, 2767/2006, 2768/2006, 2769/2006, 2770/2006, 2771/2006, 2917/2006, 3030/2006, 3938/2006, 4693/2006, 4694/2006, 5446/2006, 6256/2006, 6309/2006, 6686/2006, 501/2004 और 4476/2006), में याचिकाकर्ता, जिन्होंने 15 वर्ष से अधिक समय तक गैंगमैन के रूप में कार्य किया है | यह अनुतोष मांगते हैं कि छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवर्षिकी–आयु) अधिनियम, 1967 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1967') को मूलभूत नियम (संक्षेप में 'एफ.आर.') 56 के साथ पढ़ते हुए, याचिकाकर्ताओं को स्थायी गैंगमैन के रूप में 62 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त किया जाए ।

2. यह निर्विवाद तथ्य है कि याचिकाकर्ताओं को गैंगमैन के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, उन्होंने

2007:सीजीएचसी:7604

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत विरचित किये गए **छत्तीसगढ़ (कार्यभारित एवं आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979** (संक्षेप में 'नियम, 1979') के **नियम 2(ग)** के तहत परिभाषित **स्थायी कर्मचारी** का दर्जा प्राप्त कर लिया था। स्थायी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करने के पश्चात, याचिकाकर्ता **अधिनियम, 1967** के प्रावधानों के तहत 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अधिवार्षिकी सेवानिवृत्ति पर जाएंगे।

3. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक दास वैष्णव, श्री किशोर भादुड़ी, श्री अनूप मजूमदार, श्रीमती फौजिया मिर्जा, श्री अजय श्रीवास्तव, श्री एच.एस. अहलूवालिया , श्री राहुल बिरथरे , श्री अशोक सोनी, श्री सुनील ओटवानी , श्री अशोक पाटिल और श्री अभिजीत सरकार ने यह निवेदन किया कि याचिकाकर्ताओं को **छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग कार्यभारित एवं आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्त नियम, 1976** (संक्षेप में 'नियम, 1976') के **नियम 2(च)** के तहत परिभाषित **कार्यभारित कर्मचारियों** के रूप में गैंगमैन नियुक्त किया गया था और 15 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात उन्होंने **नियम, 1979** के **नियम 2(ग)** के अंतर्गत स्थायी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त कर लिया था। आगे यह तर्क दिया गया कि क्या गैंगमैन सेवानिवृत्ति के लिए चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों पर लागू होने वाली समान नीति के अधीन होंगे, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर पीठ के पूर्ण पीठ के समक्षविष्**णु एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य [2006 (1) एम.पी.एच.टी. 374 (फुल बेंच)]में** विचारार्थ आया था। विद्वान पूर्ण पीठ ने सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुँची कि गैंगमैन की सेवाएँ कार्यभारित एवं आकस्मिकता कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियमों के अधीन हैं, भले ही गैंगमैननियम, **1976 की अनु**सूची में शामिल नहीं हैं, और सेवानिवृत्ति की आयु राज्य सरकार के अन्य चतुर्थश्रेणी कर्मचारियों की भाँति 62 वर्ष है, क्योंकि वे तुलनीय श्रेणी में हैं |

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने आगे यह तर्क दिया कि अ**धिनियम 1967, नियम 1976, नियम 1977 और नियम 1979** को छत्तीसगढ़ राज्य के दिनांक **1.11.2000 को** अस्तित्व में आने के पश्चात, मध्य **प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्**रावधानों के अनुसरण में, तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य सेछत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अनुकूलित किया गयाथा। इस प्रकार, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर की पूर्ण पीठ द्वारा दिया गया निर्णय वर्तमान मामलों के तथ्यों पर भी समान रूप से लागू होगा।

5. उत्तरवादीगण की ओर से, श्री वी.वी.एस. मूर्ति, विद्वान् उप महाधिवक्ता एवं श्रीमती अंजू आहूजा, विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया किस्थायी गैंगमैनकी परिभाषा **छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग पुस्तिका (नियमावली)के अध्याय–4 के खंड 4.003 में दी** गई है। अत:, नियम, 1**979 के अंतर्गत** स्थायी कर्मचारी की परिभाषा स्थायी गैंगमैन के मामले में लागू नहीं होगी। विद्वान अधिवक्ता ने तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य द्वारा जारीदिनांक **20.7.1989 के एक परिपत्र का सहारा लिया**, जिसमें यह उल्लेखित था कि लोक निर्माण विभाग में कार्यरत गैंगमैनों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर कार्यमुक्त किया जाएगा।

6. तत्पश्चात, तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दिनांक 20.1.2000 को जारी एक परिपत्र के माध्यम सेतृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष कर दी गई और मूलभूत नियम **(एफ.आर.) 56 को तदनुसार** संशोधित किया गया। इस परिपत्र में यहस्पष्ट रूप से उल्लेख किया गयाकि तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु कार्यभारित एवं आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारियों पर भी लागू होगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2007:सीजीएचसी:7604

7. मैंने, दोनों पक्षों केविद्वान् अधिवक्ताओं के तर्क सुने हैं तथा अभिलिखित प्रलेखों एवं उनके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

8. 1976 के नियमावली के नियम 2(ख) और (ह) तथा 1979 के नियमावली के नियम 2(क) और (ख) 'आकस्मिकता वेतन भोगी कर्मचारी' और 'कार्यभारित कर्मचारी' को इस प्रकार परिभाषित करते हैं:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नियम 2(ख) एवं 2(ज) (1976 के नियम) :

"**2(ख)** 'आकस्मिकता वेतन भोगी कर्मचारी' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी कार्यालय या प्रतिष्ठान में पूर्णकालिक रूप से नियोजित है, जिसे मासिक आधार पर वेतन दिया जाता है तथा जिसका वेतन"कार्यालय आकस्मिकताओं" से चार्ज किया जाता है; उन कर्मचारियों को छोड़कर जो वर्ष में केवल कुछ निश्चित अवधि के लिए नियोजित किए जाते हैं।"

"**2(ज)** 'कार्यभारित कर्मचारी' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी निर्दिष्ट कार्य के सामान्य पर्यवेक्षण के बजाय उसके वास्तविक क्रियान्वयनपर, अथवा ऐसे कार्य से संबंधित विभागीय श्रम, भंडार, विद्यूत उपकरणों व मशीनरी के संचालन एवं मरम्मत के अधीनस्थ पर्यवेक्षण पर नियोजित है | उस कार्य पर नियोजित दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों तथा मस्टर रोल कर्मियों को छोड़कर।"

नियम 2.(क) और 2.(ख) (1979 के नियम):–

2. **परिभाषाएं** – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा

अपेक्षित न हो :–

2007:सीजीएचसी:7604

(क) **'आकस्मिकता वेतन भोगी कर्मचारी'**से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी कार्यालय या प्रतिष्ठान में पूर्णकालिक रूप से नियोजित है, जिसे मासिक आधार पर वेतन दिया जाता है तथा जिसका वेतन'कार्यालय आकस्मिकताओं' से चार्ज किया जाता है; उन कर्मचारियों को छोड़कर जो वर्ष में केवल कुछ निश्चित अवधि के लिए नियोजित किए जाते हैं।

(**ख**) **'कार्यभारित कर्मचारी'**से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी निर्दिष्ट कार्य के सामान्य पर्यवेक्षण के बजाय उसके वास्तविक क्रियान्वयन पर, अथवा ऐसे कार्य से संबंधित विभागीय श्रम, भंडार, विद्युत उपकरणों व मशीनरी के संचालन एवं मरम्मत के अधीनस्थ पर्यवेक्षण पर नियोजित है; उस कार्य पर नियोजित दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों तथा मस्टर–रोल कर्मचारियों को छोड़कर।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. नियम 1979 के नियम 2(ग) में "स्थायी कर्मचारी" शब्द को परिभाषित किया गया है जो इस प्रकार है–

"**2(ग).** "स्थायी कर्मचारी" से अभिप्राय एक आकस्मिकता वेतन भोगी कर्मचारी या कार्यभारित कर्मचारी से है जिसने 1 जनवरी, 1974 को या उसके बाद पन्द्रह वर्ष या अधिक की सेवा पूर्ण कर ली है।

{ बशर्ते कि ऐसे आकस्मिकता वेतन भोगी कर्मचारी या कार्यभारित कर्मचारी के संबंध में, जिसने दिनांक 1 अप्रैल, 1981 को या उसके बाद सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त कर ली है, स्थायी कर्मचारी से अभिप्राय ऐसे कर्मचारी से है जिसने दिनांक 1 जनवरी, 1974 को या उसके बाद दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है।}"

10. "1976 के नियमों, का नियम 8 यह उपबंध करता है कि आयु, नव प्रवेशकों की शारीरिक योग्यता तथा अधिवार्षिकी आयु के विषय में, जो

2007:सीजीएचसी:7604

मानदंड नियमित कर्मचारियों की तुलनीय श्रेणियों के शासकीय सेवकों पर लागू होते हैं, वे सेवा में नव प्रवेशकों पर भी लागू होंगे।"

11. अधिनियम 1967, मूलभूत नियमों में संशोधन का उपबंध करता है। **मूलभूत नियम 56 में संशोधन इस प्रकार है:–**

"2. मूलभूत नियमों में संशोधन छत्तीसगढ़ राज्य पर लागू मूलभूत नियम 56 के स्थान पर, जिसे छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक अनिवार्य सेवा निवृत्ति का विधि मान्यताकरण अधिनियम, 1967 (1967 का 5) की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–"

"{ 56. अधिवार्षिकी आयु –(1) उप–नियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, { प्रत्येक शासकीय सेवक, जो शासकीय शिक्षक अथवा चतुर्थ श्रेणी का शासकीय सेवक नहीं है, } उस माह के अंतिम दिन के अपरान्ह सेवानिवृत्त होगा जिस माह में वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है | }"

परन्तु यह कि जिस शासकीय सेवक की जन्म तिथि किसी माह की पहली तारीख है, वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन के अपरान्ह सेवा से सेवानिवृत्त होगा।"

{ (1–क) उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक शासकीय शिक्षक उस माह के अंतिम दिन के अपराह्न को सेवा से सेवानिवृत्त होगा जिसमें वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है |

परन्तु यह कि जिस शासकीय शिक्षक की जन्म तिथि किसी माह की पहली तारीख है, वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन के अपरान्ह सेवा से सेवानिवृत्त होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2007:सीजीएचसी:7604

"स्पष्टीकरण। – इस उप–नियम के प्रयोजन हेतु "शिक्षक" से अभिप्राय एक ऐसे शासकीय सेवक से है, चाहे उसे जो भी पदनाम दिया गया हो, जिसे शासकीय शैक्षणिक संस्थानों (तकनीकी अथवा चिकित्सा शैक्षणिक संस्थानों सहित) में शिक्षण कार्य हेतु नियुक्त किया गया हो, ऐसी नियुक्ति पर लागू होने वाले भर्ती नियमों के अनुसार; और इसमें वह शिक्षक भी सम्मिलित होगा जो पदोन्नति या अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया है तथा जिसने कम से कम बीस वर्ष तक शिक्षण कार्य में संलग्न रहा है, बशर्ते कि वह संबंधित विद्यालय/स्नातकोत्तर/तकनीकी/चिकित्सा शिक्षा सेवा में किसी पद पर ग्रहणाधिकार धारण करता हो।"}

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

{ (1–ख) उप–नियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवक उस माह के अंतिम दिन के अपराह्न को सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगा जिसमें वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है:

परन्तु यह कि जिस चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवक की जन्म तिथि किसी माह की पहली तारीख है, वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन के अपरान्ह सेवा से सेवानिवृत्त होगा।"

"(2) {(क) कोई शासकीय सेवक, जिसने लोकहित में 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली हो या जिसने पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, इनमें से जो भी पहले हो, उसे लोक हित में किसी भी समय, कोई कारण बताए बिना, लिखित नोटिस देकर सेवानिवृत्त किया जा सकता है।}

(ख) ऐसे नोटिस की अवधि तीन महीने होगी:

बशर्ते कि ऐसे शासकीय सेवक को तत्काल सेवानिवृत्त किया जा सकता है और ऐसी सेवानिवृत्ति पर वह शासकीय सेवक नोटिस अवधि के लिए, जिस दर से वह सेवानिवृत्त होने से ठीक

पहले उन्हें प्राप्त कर रहा था, उसके वेतन व भत्तों के योग के बराबर राशि का दावा करने का हकदार होगा अथवा, जो भी मामला हो, उस अवधि के लिए जितनी अवधि के लिए ऐसा नोटिस तीन माह से कम हो।}"

12. याचिकाकर्ता, गैंगमैन के रूप में कार्यरत, कार्यभारित कर्मचारी हैं क्योंकि उनकी नियुक्ति लोक निर्माण विभाग के कार्यों के निष्पादन पर की गई थी। दैनिक वेतन भोगी श्रमिक एवं कार्यस्थल पर मस्टर रोल कर्मचारी, नियम 1976 के नियम 2(ज) में परिभाषित कार्यभारित कर्मचारियों की परिभाषा से बाहर हैं। स्थायी कर्मचारी वे आकस्मिकता वेतन भोगी या कार्यभारित कर्मचारी हैं जिन्होंने दिनांक 1.1.1974 को या उसके बाद 15 वर्ष या अधिक की सेवा पूर्ण की है। लोक निर्माण विभाग नियमावली (संक्षिप्त में "लोक निर्माण विभाग. नियमावली") में आकस्मिक श्रमिक समूहों एवं स्थायी समूहों का प्रावधान है। उक्त लोक निर्माण विभाग के नियमावली का कण्डिका 4.003 दैनिक आकस्मिक श्रम नियमित श्रमिक समूहों के पंजीकरण एवं भुगतान का इस प्रकार उपबंध करता है:–"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"**4.003. (A) आकस्मिक श्रमिक समूह।**—जब कार्य दैनिक आकस्मिक श्रम समूहों द्वारा कराया जाना हो, तो अधीनस्थ प्रभारी एक मस्टर रोल तैयार करेगा, जिसमें कर्मकारों के नाम, उनकी उपस्थिति, किए गए कार्य तथा इस खाते में देय राशि दर्शित होगी। मासिक मस्टर रोल, यदि आवश्यक हो, सात दिनों के बाद या सुविधानुसार बंद किए जा सकते हैं।

(B) स्थायी समूह। :–

(क) स्थायी समूहों की उपस्थिति एक उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की जाएगी। उपस्थिति प्रतिदिन प्रातः काल टाइम कीपर द्वारा अंकित की जाएगी। मुख्यालय पर, उपस्थिति की जाँच उप–अभियंता द्वारा सप्ताह में कम से कम दो बार की जाएगी मुख्यालय से बाहर प्रत्येक अनुपस्थित व्यक्ति के

विरुद्ध एक क्रॉस का निशान (×) अवश्य लगाया जाए ताकि कोई रिक्त स्थान न छूटे।

(ख) परिचित सूची (Acquaintance roll), उन दिनों की संख्या के आधार पर तैयार किया जाएगा जितने दिन एक श्रमिक ने वास्तव में कार्य किया है तथा अधिकृत अवकाश और छुट्टियाँ जोड़कर।"

(ग) कार्य प्रगति का एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें निम्नलिखित जानकारी पांच कॉलम में दर्ज की जाएगी:–

(i) किए जाने वाले कार्य के लिए निर्देश।

(ii) अनुदेशों का अनुपालन।

(iii) मापने योग्य कार्य की मात्रा/मापने योग्य कार्य का विवरण।

(iv) उपभोग की गई सामग्री का विवरण।

(v) देय मजदूरी.

(घ) उप–अभियंता, कार्य प्रगति के इस रजिस्टर की समीक्षा मुख्यालय में सप्ताह में दो बार और बाहरी स्थानों के कार्यों के मामले में कम से कम सप्ताह में एक बार करेगा। उप–अभियंता / अनुविभागीय अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि पर्याप्त प्रगति हो रही है |

(ई) नियमित समूहों (कार्यदलों) में किसी भी भर्ती केवल उप–अभियंता की अनुमति से ही की जाएगी। 58 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों को नियमित समूहों में नियोजित/निरंतर नहीं रखा जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. आकस्मिक श्रमिक समूह मस्टर रोल कर्मचारी होते हैं, जिनका भुगतान साप्ताहिक या मासिक आधार पर किया जाता है। स्थायी समूहों की उपस्थिति का लेखा–जोखा समयपाल (time keeper) द्वारा प्रतिदिन

सुबह उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। लोक निर्माण विभाग के नियमावली के कण्डिका 4.003 और नियम, 1976 के नियम 2(ज) का पाठ स्पष्ट करता है कि वर्तमान मामलों में याचिकाकर्ता कार्य–भारित कर्मचारी हैं। नियम, 1979 के नियम 2(ग) के अनुसार, यदि किसी कार्य–भारित कर्मचारी ने 1 जनवरी 1974 को या उसके बाद 15 वर्ष से अधिककार्य किया है, तो वे राज्य सरकार केस्थायी कर्मचारी बन जायेंगे। स्वीकृत रूप से याचिकाकर्ताओं ने 15 वर्ष से अधिक समय तक कार्य किया है इस पर उत्तरवादीगण द्वारा कोई विवाद नहीं किया है, इस तरह वे राज्य के स्थायी कर्मचारी बन गए है नियम, 1976 के नियम 6 में'कार्य–भारित' एवं आकस्मिक भुगतान वाले कर्मचारियों के वर्गीकरण का प्रावधान है । अर्थात जो कर्मचारी 1 जनवरी, 1974 को 15 वर्ष या उससे अधिक समय से सेवा में है, वे"स्थायी कार्यभारित" या"आकस्मिक भुगतान" वाले कर्मचारियों की स्थिति के लिए पात्र होंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. नियम, 1976 यह उल्लेख नहीं करते हैं कि स्थायी समूह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं या नहीं। दिनांक 14 जून, 1974 के परिपत्र द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार केसामान्य प्रशासन विभाग (वेतन आयोग सेल)ने यह निर्णय लिया कि कार्यभारित कर्मचारियों का एक सेवा गठित की जाए। इसके बाददिनांक 29 सितंबर, 1975 के एक अन्य परिपत्र द्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग (वेतन आयोग सेल)ने गैंगमैन काखंड 4 (cla**use 4)के अंतर्गत** वर्गीकरण करने का निर्णय लिया, जो निम्नानुसार है :–

कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के पदों का वर्गीकरण

पद	वर्गीकरण	चतुर्थ श्रेणी

माली, हेड माली, खलासी, चौकीदार. स्वीपर, डाकरनर,

वाल्वमेन, भिस्ती, हेल्पर, वर्कशॉप हेल्पर, वॉशरमैन, वाटरमैन, वायरमेन, वेटर, लैबोरेट्री अटेंडेंट, क्लीनर कुली, हमाल/लेबरमेट, वेयरर, ऑइलमेन, कीमेन, असिस्टेंट कारपेंटर, बिल डिस्ट्रीब्यूटर, दरोगा, क्वारिमेन, असिस्टेंट जमादार, हेडमेन, अटेंडर, फिल्टर अटेंडेंट, बोटमेन/फेरीमेन, पोल्ट्री अटेंडेंट, मिल्क डिस्ट्रीब्यूटर/सेल्समेन, बायलर अटेंडेंट, फैमिली प्लानिंग अटेंडेंट, अन्य अटेंडेंस भृत्य, फर्राश, जमादार पैकर, ग्रास कटर, पैसेंजर, गैंगमैन लास्कर, फ्लोमेन मसालची, फायर गोसदन, चेनमेन, फेरीमेन/वोटमेन. केयर, टेकर, ड्रेसर, दफ्तरी, मेसन, सेल्समैन, इंजिनमेन, हेमरमेन, फिशरमेन, फॉरेस्ट गार्ड (अप्रशिक्षित), बारबर, डॉल मेकर, हीवर, वार्ड ब्वाय, वार्ड अटेंडेंट बॉर्डर, आया, कंडक्टर/कंडक्टरेस कार्टमैन, मोटर साइकिल ड्राइवर, स्क्वेडमेन, टीनमेन, टाइल टनर, टिंडल, टोल मोहर्रिर/सर्वेंट, बुल अटेंडेंट, केटल अटेंडेंट, डरी अटेंडेड इत्यादि |

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. इसके पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन बनाए गए मध्य प्रदेश कार्यभारित एवं आकस्मिक भुगतान कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण नियम, 1977 में, गैंगमैन के पद को अनुलग्नक–। (नियम 3 के अंतर्गत) में क्रमांक (xxvii) पर, "कार्यभारित या आकस्मिक भुगतान कर्मचारी द्वारा धारित पद का नाम" शीर्षक स्तंभ में दर्शाया गया था। "आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारी" और "कार्यभारित कर्मचारी" की परिभाषाएँ नियम, 1976 के प्रावधानों तथा नियम, 1979 के प्रावधानों में समान हैं। नियम, 1979 में, 'स्थायी कर्मचारी' को नियम 2(ग) के अंतर्गत एक ऐसे कार्य–भारित कर्मचारी के रूप में परिभाषित किया गया था जिसने दिनांक 1.1.1974 को या उसके बाद 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। दिनांक 14.6.1974 और दिनांक 29.9.1975 के परिपत्रों, नियम, 1976 के नियम 2(ज), नियम, 1976 के नियम 8, नियम 1977 के अनुलग्नक–। तथा नियम, 1979 में निहित नियम 2(ख) और नियम

2(ग) अर्थात् 'स्थायी कर्मचारियों' की परिभाषा को एक साथ पढ़ने पर, यह स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकलता है कि स्थायी गैंगमैन, अवकाश–सीमा के लिए उसी नीति के अधीन हैं जो चतुर्थ श्रेणी शासकीय कर्मचारियों पर लागू होती है। यह विवादित नहीं है कि अधिनियम, 1967 के अंतर्गत मूलभूत नियम (F.R.) 56 में मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (अधिवर्षिकी आयु) संशोधन अधिनियम, 1999 (M.P. Act No. 13 of 1999)) द्वारा किया गया संशोधन, जो दिनांक 29 अप्रैल, 1999 को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ, चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों के लिए 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति की आयु का प्रावधान करता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16. यह किसी संविधि के निर्माण का सुस्थापित सिद्धांत है कि सजातीय और समविषयक विधानों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, जैसे कि वे एक ही व्यवस्था का निर्माण करते हों और एक–दूसरे की व्याख्या तथा प्रवर्तन करते हों। [**जे. के. स्टील लि. बनाम भारत संघ**][1], [**बॉम्बे बंदरगाह न्यासी मंडल एवं अन्य बनाम श्रीयानेश निटर्स**][2] में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि दो अधिनियमों के प्रावधानों को4 एक साथ पढ़ना अनुज्ञेय है जब वे परस्पर पूरक हों। इस संबंध में, अपील न्यायालय द्वारा [**ओलिवर ऐशवर्थ (होल्डिंग्स) लि. बनाम बैलार्ड (केंट) लि.**][3] के प्रकरण में की गई निम्नलिखित टिप्पणी का उल्लेख करना उपयोगी होगा :–

"जहाँ किसी अधिनियम द्वारा एक वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया हो किन्तु उसकी सीमाएँ परिभाषित न की गई हों, वहाँ न्यायालय को उस अधिकार के दायरे का निर्धारण उस उद्देश्य के संदर्भ में करना होता था, जिसके लिए वह प्रदान किया गया था। वह उद्देश्य, संविधि को समग्र रूप से देखते हुए ही जाना जा सकता था और जब वह संविधि एक वैधानिक संहिता का अंग हो जिसका आशय एक विशिष्ट उद्देश्य प्राप्त करना हो, तो संहिता के अन्य संविधि पर भी विचार करना आवश्यक था।"

2007:सीजीएचसी:7604

17. उच्चतम न्यायालय ने **[अहमदाबाद प्राइवेट प्राइमरी टीचर्स असोसिएशन बनाम प्रशासनिक अधिकारी एवं अन्य]**[4] के प्रकरण में कण्डिका 12 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:–

"12............."समविषयकता" के सिद्धांत पर, उन अन्य विधानों का उल्लेख करना, जो एक ही विषय से संबंधित हैं या एक ही व्यवस्था का अंग हैं, किसी संविधि में प्रावधानों के निर्माण के लिए एक स्वीकार्य सहायक है। जी.पी. सिंह द्वारा रचित **'प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन' (8 वाँ संस्करण), समरी 4, पृ. 235 से 239** में निहित निम्नलिखित टिप्पणियाँ देखें:–

समविषयक विधान :

यह पहले ही देखा जा चुका है कि किसी संविधि को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि शब्दों को उनके संदर्भ में समझा जाता है। संदर्भ के इस नियम का विस्तारसमविषयक विधानोंअर्थात् उन विधानों का उल्लेख करने की अनुमति देता है जोएक ही विषय–वस्तुसे संबंधित हैं याएक ही व्यवस्था का अंग हैं। विस्काउंट सायमंड्स (Viscount Simonds) ने पहले उद्धृत एक अंश में, विधान के प्रत्येक शब्द का उसके संदर्भ में निर्माण करना एकअधिकार और कर्तव्यमाना था, और उन्होंने 'संदर्भ' शब्द का प्रयोग अपनेव्यापकतम अर्थमें किया था, जिसमें'समविषयक अन्य विधान'भी शामिल हैं। जैसा कि लॉर्ड मैन्सफील्ड (Lord Mansfield) ने कहा था:"जहाँ समविषय**क विभिन्न विधान हों, भले ही वे अलग–अलग समय पर बने हों, या यहाँ तक कि समयावधि समाप्त हो चुकी हो, और एक–दूसरे का जिक्र न करते हों, उन्हें एक साथ लिया और समझा जाना चाहिए, मानो वे एक ही व्यवस्था हों और एक–दूसरे की व्याख्या करते हों।"**

"इस निर्माण नियम के अनुप्रयोग का यह लाभ है कि यह एक ही विषय से संबंधित विधि की एक श्रृंखला के बीच किसी भी स्पष्ट

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

विरोधाभास से बचाता है | यह एक पूर्ववर्ती संविधि का उपयोग उसी संदर्भ में बाद के संविधि में प्रयुक्त किसी वाक्यांश के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए करने की अनुमति देता है | यह परिकल्पना को उठाने की अनुमति देता है, कि किसी भी विपरीत आशय दर्शाने वाले संदर्भ के अभाव में, यदि दोनों अधिनियमों में शब्द समान संदर्भ में प्रयुक्त हुए हैं, तो बाद के संविधि में उन्हीं शब्दों का वही अर्थ होगा जो पूर्ववर्ती संविधि में था और यह बाद के संविधि को पूर्ववर्ती संविधि में प्रयुक्त अस्पष्ट अभिव्यक्तियों के अर्थ की संसदीय व्याख्या के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाता है।"

18. उपरोक्त कारणों से, मैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर पीठ के पूर्ण पीठ द्वारा **विष्णु एवं अन्य बनाम [पूर्वोक्त]** प्रकरण में दिए गए निर्णय से आदरपूर्ण सहमति व्यक्त करता हूँ।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. छत्तीसगढ़ राज्य के गठन पर, मध्य प्रदेश राज्य द्वारा पूर्व में विरचित उपर्युक्त नियमों को दिनांक 1 नवंबर, 2000 से प्रभावी होने के साथ छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अपनाया गया है।

20. परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता, जो स्थायी श्रमिक समूह हैं, अधिनियम, 1967 के अनुसार 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने के हकदार हैं। अत: याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं। वाद–व्यय के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है ।

सही/–

सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

---

1. AIR 1970 SC 1173[1]
2. (I999) 7 SCC 359[2]
3. (1990) 2 ALL ER 791[3]
4. (2004) 1 SCC 755[1]

2007:सीजीएचसी:7604

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By : ANKIT SHRIVAS